

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/380 ✓

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177 वर्ष उर	129/24	4/7/24	कैलद 28/11/24 28/11/24	25/7/24 1/8/24 20/8/24 3/9/24 1/10/24 15/10/24 7/11/24 27/11/24 28/11/24

अनवान

श्री राजेश्वर लखार

श्री नीतू जं पति आशीष जं

निवासी बिजौलिया

निवासी खालारिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री पंजाब लखार

श्री मोहनलाल जोशी
सुमित जोशी

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

रजिस्ट्रार जरीये तह. बिजौलियां

नीमू जैम

मुकदमा 177 RTA

नम्बर 124 सन 2024

हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
-----	----------------------------------	---

07
 वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मान मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 25/07/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।

8
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 18/8/24 को वास्ते 3- भा पेश हो।

9
 उपखण्ड अधिकारी

18/8/24
 पत्रावली पेश हुई विपक्षी खेरव्या (1,3,4) की बाद तलबी प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (1,3,4) को उबार भावज लगेब परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी (1,3,4) के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी (2) को 20.5.15 से तलबी भेजी जावें। पत्रावली वास्ते गौर तलबी भणानी दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

20/8/24
 पत्रावली पेश हुई विपक्षी (2) की तरफ से अधिकारता खुमिद जेरी ने पाली एवं अधिकार पत्र के लिए समय गहा। पत्रावली वास्ते भणानी दिनांक 23/9/24 को पेश हो।

3
 अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा

..... बनाम

किस्म मुकदमा धारा 177 प्रकरण संख्या 124/24

GCMS नम्बर:- 2024/380

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/11/24	<p>फावली चेरा डूरी तहसीलदार विजौलियाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फावली किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में मॉडे पर किसी प्रकार का स्टॉप नहीं है। रिपोर्ट का अध्ययन/माम किया गया। परेशार हासकर की बहल खुली गई। फावली को खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखताया जाकर खुले न्यायालय में खुला गये। फावली खारिज कर, नम्बर से कम होकर दाखिल कएतल है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा